न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/454

1. शान्ति लाल आत्मज मोती ।
2. रामकुंवार आत्मज श्री मोती ।
3. फौरू लाल आत्मज श्री मोती जाति यान बैरवा निवासीगण डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. पुष्पाबाई पुत्री श्री मोती लाल पत्नी श्री लालू जाति बैरवा निवासी दॉता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मडी बाई पुत्री श्री मोती पत्नी श्री कजोड जाति बैरवा निवासी राजपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. मसरी बाई पुत्री श्री मोती पत्नी श्री केसरा जाति बैरवा निवासी लाडपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. बिसरी बाई पुत्री श्री मोती पत्नी श्री स्वरूप जाति बैरवा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. मंजू बाई पुत्री श्री मोती पत्नी श्री महावीर जाति बैरवा निवासी राजपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. भूला बाई पत्नी श्री मोती लाल जाति बैरवा निवासी डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आत्मज श्री रामदेवा ।
2. हीरा लाल आत्मज ग्यारसा ।
3. हजारी लाल आत्मज श्री ग्यारसा ।
4. राम लाल आत्मज श्री ग्यारसा ।
5. प्रकाश आत्मज श्री ग्यारसा ।
6. नन्दू बेवा श्रनि ग्यारसा ।
7. कल्याण आत्मज भूरा ।
8. दुर्गा लाल आत्मज श्री भूरा ।
9. प्रेमा आत्मज श्री भूरा ।
10. सरवण आत्मज श्री छोटा ।
11. गंगा बाई पत्नी श्री छोटा ।
12. रामप्रसाद आत्मज श्री गोरधन जाति यान बैरवा निवासीगण ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. राजस्थान राज्य आवंटन परामर्शदात्री समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम, 1968 का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 से 8 के पिता व अप्रार्थी क्रम 9 के पति मोती आत्मज केल्या को ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 756/346 रकबा 06 बीघा दिनांक 06.11.1975 को आवंटन किया गया था । आवंटियों ने उक्त भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया है तथा गलत तरीके से करवाया गया है । आवंटी का कभी भी उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ।

3. अतः अप्रार्थी क्रम 1 से 8 के पिता व 09 के पति के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1975 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 756/346 रकबा 06 बीघा में से 1.00 भूमि पर जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है को छोडकर शेष 5.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन आदेश निरस्त करते हुए उक्त भूमि पर से नियमानुसार बेदखली का आदेश पारित करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता उपस्थित । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं करने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि अपीलान्ट आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होना उल्लेखित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम, 1968 का पेश कर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन भूमि में से 05 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया है क्योंकि आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली की मौका रिपोर्ट से भी साबित है कि आवंटी का आवंटित भूमि में से 05 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होने से तथा कब्जा नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा